

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर एससीएसटी एक्ट व जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 9,000 रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन किन्वक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **राठ** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-1669/2010 धारा–452,323,325,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज पुत्र हरीसिंह लोधी निवासी अमगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह



विवेचक-सीओ परमलाल वर्मा



पैरोकार- थाना राठ का0 प्रदीप भार्गव